पा॰ब॰/९५१ |
फैक्स 0522—2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्राँक :बैंकिंग / एमएसएमई / एफ—304 / 2024—25 / १८३-62

दिनाँक : 01 May 2024

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
मुख्यालय, 2—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

संशोधित परिपत्र

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उत्तर प्रदेश।

विषय : बैंक में एमएसएमई योजना लागू करने विषयक।

बैंक में एमएसएमई योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु पूर्व निर्गत परिपत्र सं0— बैंकिंग / एमएसएमई / एफ—304 / 2023—24 / 607, दिनांक—12.03.2024 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :—

1. **ऋण का उद्देश्य :—**

केवल वास्तविक व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में अस्थायी नकदी की कमी / असंतुलन दूर करने के लिए यह सुविधा अन्य बैंकों या संस्थानों के ऋणों की चुकौती, गैरजमानती ऋण आदि अथवा ऐसे किसी भी उद्देश्य जो उधारकर्ता की गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं है, जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं ऋण का उपयोग केवल बैंक द्वारा स्वीकृत व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए ही किया जायेगा।

2. **ऋण की पात्रता :—**

- मैन्यूफैक्चरिंग, सेवाक्षेत्र, रिटेल एण्ड होलसेल ट्रेड में कार्य करने वाले उद्यमी / फर्म / यूनिट आदि जिसको एमएसएमई के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो।
- जो यूनिट पहले से चल रही हैं, उनकी विगत तीन वर्षों की आडिटेड बैलेन्स शीट एवं आगामी 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्सशीट एवं सी0ए0 के माध्यम से प्राप्त डीटेल्ड प्रोजेक्टेड रिपोर्ट।
- नये व्यवसायियों के मामलों में आगामी 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्सशीट एवं सी0ए0 के माध्यम से प्राप्त डीटेल्ड प्रोजेक्टेड रिपोर्ट तथा हर वर्ष की समाप्ति पर आडिटेड बैलेन्सशीट ली जायेगी।
- पूर्व से चल रही फर्म / यूनिट को विगत तीन वर्षो में लाभ में हों अथवा ऐसी यूनिट जो तीन वर्ष से कम अवधि से संचालित हो एवं इस अवधि में फर्म लाभ पर रही हो।
- एमएसएमई उद्यमी को सभी डियूटी, फीस जैसा कि विधि द्वारा स्थापित किया गया है नियमानुसार सम्बन्धित विभागों में जमा करना होगा ।
- एमएसएमई ऋणी से ऋण एग्रीमेन्ट कराया जायेगा।

DGM
GM(IT) 01/05/24
1281
Mgr(S)
3.5.24
upload on website
AM(O)

H:\msme circular - Copy 1 29.04.2024.doc

- निरीक्षण/लेखा परीक्षा सम्बन्धी कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए तथा सभी रिटर्न्स सम्बन्धित नियामक संस्थाओं यथा–इनकमटैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न आदि समय पर भरे जाने चाहिए।
- ऋण लेने वाली फर्म/यूनिट के पास उद्योग आधार नम्बर अवश्य होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में ऋण स्वीकृत किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ऋण लेने वाली फर्म/यूनिट एवं उन व्यक्तियों जिनके द्वारा यह फर्म/यूनिट चलाई जा रही है, उनके पैन नम्बर अवश्य होने चाहिए।
- फर्म/यूनिट का जीएसटीएन नम्बर उपलब्ध कराना होगा।
- फर्म/यूनिट एवं उन व्यक्तियों को जो उक्त फर्म/यूनिट संचालित कर रहे हैं उनको किसी बैंक/संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस आशय का लिखित घोषणा पत्र के साथ–साथ सिबिल रिपोर्ट भी प्राप्त करनी आवश्यक है।
- सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर लेने वाले ग्राहकों को सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना होगा।
- कृषि यूनिट, एनिमल हस्बैण्ड्री यूनिट, ऋण की पात्र नहीं होंगी तथा सीजीटीएमएसई के अन्तर्गत गारण्टी कवर प्राप्त करने हेतु जिन उद्योगों को अनुमन्य किया गया है उनके अतिरिक्त किसी अन्य उद्योग को सीजीटीएमएसई गारण्टी के अन्तर्गत ऋण नहीं प्रदान किया जायेगा।
- ऋणी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- एमएसएमई उद्यमी को उस क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए जिस क्षेत्र में वह इकाई/यूनिट स्थापित करना चाहता है अथवा चला रहा है।
- ऋणी (ऋण लेने वाली फर्म) का चालू खाता एवं सीसी खाता बैंक की शाखा में अनिवार्य है तथा ऋणी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि जिस व्यवसाय हेतु उसे लोन दिया जा रहा है अथवा उसकी फर्म द्वारा किये जाने समस्त प्रकार के वैधानिक लेन–देन इसी खाते के माध्यम से किये जायेगें तथा किसी भी दशा में इसका उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा ऋण लेने फर्म के प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स एवं अन्य स्टाफ के बचत, चालू आदि खाते भी यदि ऋण लेने वाली फर्म सहमत हो तो बैंक शाखा में खोले जायेगें तथा बैंक शाखा इसके लिए लगातार प्रयास करेगी।
- एमएसएमई यूनिट की नेट वर्थ धनात्मक होनी चाहिए।
- सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर के अन्तर्गत उन ऋणियों को ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जिनका उल्लेख सीजीटीएमएसई द्वारा अपनी गाईडलाइन्स में किया गया है:–

  The following credit facilities shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme: -

  (i) Any credit facility in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation or the Reserve Bank of India, to the extent they are so covered. (ii) Any credit facility in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.

  (iii) Any Credit facility shall not be eligible to covered under the Scheme if the said credit facility has been covered for guarantee through NCGTC Ltd.

(iv) Any credit facility, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.

(v) Any credit facility granted to any borrower, who has availed himself of any other credit facility covered under this scheme or under the schemes mentioned in clause (i), (ii), (iii) and (iv) above, and where the lending institution has invoked the guarantee provided by the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii), (iii) and (iv) above, but has not repaid any portion of the amount due to the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii), (iii) and (iv) above, as the case may be, by reason of any default on the part of the borrower in respect of that credit facility.

(vi) Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution against collateral security and / or third party guarantee. However, after the introduction of Hybrid Security model, MLIs can cover the unsecured part of the credit facility(ies) under CGTMSE upto the overall exposure of ₹60.00 lakh.

3. **ऋण का प्रयोजन**

ऋण का प्रयोजन मैन्यूफैक्चरिंग करना या सेवा क्षेत्र होना चाहिए या एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमन्य क्षेत्र या सीजीटीएमएसई द्वारा अनुमन्य क्षेत्र।

4. **योजना का कार्यक्षेत्र**

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश है इसलिए बैंक उ0प्र0 राज्य की सीमा के अन्तर्गत स्थापित एमएसएमई इकाईयों को ही नियमानुसार ऋण उपलब्ध करायेगा।

5. **ऋण की सीमा एवं मार्जिन मनीः–**

- ऋण की अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख होगी।
- टर्म लोन हेतु मार्जिन 20 प्रतिशत होगा तथा कैश क्रेडिट ऋण सीमा हेतु मार्जिन 20 प्रतिशत ही रहेगा।
- कैश क्रेडिट ऋण सीमा का निर्धारण टर्न ओवर मैथड के आधार पर किया जायेगा। नायक कमेटी के अनुसार वार्षिक टर्न ओवर या प्रोजेक्टेड वार्षिक टर्न ओवर का अधिकतम 20 प्रतिशत ही वर्किंग कैपिटल लिमिट स्वीकृत की जायेगी। जो किसी भी दशा मे रू0 60.00 लाख से अधिक नही होगी।

6. **ऋण अवधि :–**

टर्म लोन हेतु ऋण की अवधि–

- 05 वर्ष के लिए (06 माह का मेराटोरियम पीरियड सहित यदि ऋणी लिखित अनुरोध करता है तब प्रदान किया जायेगा) होगी। अन्यथा की स्थिति में ऋण की वसूली 60 समान मासिक किस्तों में की जायेगी।

- ऋणी द्वारा टर्म लोन लेने पर प्लान्ट मशीनरी एवं उपकरणों हेतु (जैसा कि एमएसएमई पालिसी में दिया गया है के अनुसार) स्वीकृत होगा। बैंक शाखा ऋणी से प्लान्ट मशीनरी आदि की प्रोफार्मा इनवॉइस अनुरोध पत्र के साथ प्राप्त करेगी तथा प्लान्ट मशीनरी सप्लाई करने वाली फर्म (सप्लायर) के खाते में आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से धनराशि अंतरित

करेगी। धनराशि अंतरित करने से पूर्व शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक भली–भांति ऋणी को प्लान्ट एवं मशीनरी सप्लाई करने वाली फर्म के खाते के बारे में छानबीन करके ही धनराशि अंतरित करेगी ताकि किसी प्रकार के फ्रॉड आदि की स्थिति उत्पन्न न हो।

- सप्लायर्स को एमएसएमई परिपत्रों के अनुसार प्लान्ट एवं मशीनरी आदि की सप्लाई निर्धारित अवधि के अन्दर करनी होगी।

वर्किंग कैपीटल हेतु कैश क्रेडिट ऋण सीमा –

- कैश क्रेडिट लिमिट की अवधि 01 वर्ष होगी तथा 01 वर्ष पश्चात् कैश क्रेडिट ऋण सीमा निम्न शर्तें पूरी होने पर रिन्यू की जायेगीः–
- खाता स्टैण्डर्ड होने पर,
- खाते में किसी प्रकार की इररेग्यूलेरिटी न होने पर,
- खाता आउट ऑफ आर्डर न होने पर,
- खाते के नियमित संचालन होने पर,
- पूर्ण ब्याज जमा होने पर,
- टर्न ओवर मैथड के आधार पर ऋण सीमा रू0 60.00 लाख तक घटायी या बढ़ाई जा सकती है। यदि ऋणी द्वारा टर्म लोन लिया गया है तो ऋण सीमा का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि कुल मिलाकर ऋण (टर्म लोन+वर्किंग कैपीटल रू0 60.00 लाख से अधिक न हो)

7. **ब्यांज दर :–**

- 11 प्रतिशत वार्षिक

(सीएमआर 01 से 03 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 150 से ऊपर होने पर)

- 11.25 प्रतिशत वार्षिक **(सींएमआर 04 से 06 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 131 से 150 तक होने पर)**

06 माह के मेराटोरियम पीरियड की अवधि में ऋणी को प्रतिमाह बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज बैंक में जमा करना होगा। ब्याज में मेराटोरियम अवधि की सुविधा नहीं दी जायेगी।
ब्याजदर में आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 में निहित होगा।

8. **पुर्नभुगतान क्षमताः–**

- ऋण/ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन ऋण प्राप्त करने वाली फर्म/यूनिट द्वारा दी गयी बैलेन्स शीट, प्रोजैक्टेड बैलेन्स शीट, लाभ हानि खाते का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेण्ट आदि के आधार पर सी0ए0 के माध्यम से कराया जायेगा।

- ऋण प्राप्त करने वाली फर्म यूनिट के ओनर्स/संचालक/फर्म को चलाने वाले पार्टनर्स/प्रोपराइटर का विगत तीन वर्षो का व्यक्तिगत आईटीआर भी प्राप्त किया जायेगा तथा उसके आधार पर पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन सीए के माध्यम से कराया जायेगा।

9. <u>ऋण का अप्रेजलः–</u>

- ऋण का अप्रेजल मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक द्वारा या शाखा के किसी अधिकारी, जिसे मुख्य प्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक द्वारा नामित किया गया हो, किया जायेगा। नामित अधिकारी या मुख्य प्रबन्धक यूनिट का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं व्यवसाय के वायबेलिटी के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत देगा।

- ऋण का वित्तीय/टेक्निकल अप्रेजल बैंक के सी0ए0 के माध्यम से किया जायेगा। सी0ए0 के द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी जायेगी कि ऋण स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। बैंक के सी0ए0 की रिपोर्ट के बिना कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। शाखा सी0ए0 से बिजनेस की वायबेलिटी एंव ब्रेक ईवेन के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करेगी। व्यवसाय वायबेल होने पर ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

- शाखा स्तर पर गठित लोन कमेटी एमएसएमई ऋणों को स्वीकृत करेगी, जो ऋण सीजीटीएमएसई से आच्छादित हैं उन्हें मुख्यालय स्तर पर गठित अर्बन लोन फैक्ट्री में स्वीकृति हेतु न भेजा जाये।

10. <u>ऋण की सुरक्षा/प्रतिभूति</u> :–

- जो ऋण सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेगें ऐसे मामलों में जिस भवन या भूमि पर यूनिट स्थपित होगी उसमें स्थापित प्लान्ट एवं मशीनरी को प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लिया जायेगा तथा सीजीटीएमएसई द्वारा गारण्टी कवर से आच्छादित पोर्शन पर कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी किन्तु ऋण का जो पोर्शन गारण्टी कवर से आच्छादित नहीं है, उसे हाईर्बिड मॉडल शेष धनराशि के ऋण के डेढ़ गुना मूल्य के बराबर कोलेट्रल सिक्योरिटी लेकर ऋण अनुमन्य किये जायेंगे अथवा ऋण की सीमा के बराबर एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडीआरआई लेकर ऋण को सुरक्षित किया जायेगा।

- स्टॉक का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर हाइपोथिकेशन किया जायेगा (Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) गारण्टी कवर से आच्छादित एवं सीजीटीएसएमई गारण्टी कवर से न आच्छादित होने वाले दोनों पर लागू होगा एवं प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में होगा।)

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगें उनमें प्राईमरी सिक्योरिटी के साथ–साथ ऋण राशि की डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रेल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) या एक गुना मूल्य की एनएससी, किसान विकास पत्र प्रतिभूति के तौर पर लिया जायेगा तथा कोलेट्रल सिक्योरिटी को सरसई पोर्टल पर अपलोड एवं डाउनलोड भी करना होगा।

- स्टाक को हाईपोथिकेट/प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रखा जायेगा।

- प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्टाक स्टेटमेन्ट एमएसएमई ऋणी से प्राप्त किया जायेगा तथा बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्तों के अनुसार स्टाक का आंकलन किया जायेगा एवं स्टॉक के आधार पर ही ड्रॉईंग पॉवर निर्धारित की जायेगी।

- Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) गारण्टी कवर से आच्छादित ऋणों पर गारण्टी कवर की सीमा तक कोलेट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारण्टी नहीं ली जायेगी, किन्तु ऋण का जो भाग (पोर्शन) गारण्टी कवर से आच्छादित नहीं है उसके लिए डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) तथा दो गारण्टर्स लिये जायेगें, तथा ऋण के इस भाग को निर्धारित राशि के स्टाम्प पर साम्य बन्धक कराया जायेगा।

- भूमि एवं भवन का 12 वर्षीय नॉन इन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट अधिवक्ता के माध्यम से लिया जायेगा।

- साम्य बन्धक करने के लिए ऋण राशि का 0.5 प्रतिशत या रू0 10000.00 जो भी कम हो, के स्टाम्प ऋणी से लिये जायेंगे और कोलेट्रल सिक्योरिटी को साम्य बन्धक (इक्वीटेबुल मॉडगेज) कराया जायेगा। सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण में प्लान्ट, मशीनरी एवं स्टॉक को (कैश केडिट ऋण के मामले में) प्राथमिक सिक्योरिटी के रूप में रखा जायेगा। प्राथमिक सिक्योरिटी रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर करायी जायेगी।

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं अथवा वे ऋण जिनका वह भाग जो Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है ऐसे मामलों में ऋण फर्म के मालिक/ मालिकों/प्रमोटर्स की व्यक्तिगत गारण्टी के साथ–साथ दो गारण्टर्स की भी गारण्टी ली जायेगी एवं ऋण राशि के डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) भी ली जायेगी या ऋण राशि की सीमा के बराबर मूल्य के एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडीआर लेकर ऋण स्वीकृत किये जायेगें तथा इन्हें बैंक के पक्ष में <u>प्लेज/**लियन**</u> कराना होगा।

- जो मैन्यूफ्रैक्चरिंग या सेवा यूनिट किराये के भूमि/भवन में संचालित हैं या संचालित होने वाले हैं में कम से कम 06 साल या उससे अधिक की लीज़ डीड/रजिस्टर्ड किराया नामा जैसा कि परिपत्र के नोट में वर्णित है, के अनुसार प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।

- ऐसे मामलों में जहॉ फर्म/यूनिट जिस भूमि/भवन में चल रही है या स्थापित है अथवा स्थापित की जानी है, उसमें प्लान्ट/मशीनरी को प्राइमरी सिक्योरिटी (Credit Guarantee loan में) के रूप में रखा जायेगा तथा अन्य ऋणों में जो केडिट गारण्डी से आच्छादित नहीं होगें उनमें डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) ली जायेगी या ऋण राशि की सीमा के बराबर मूल्य का एफडीआर, एनएससी, किसान विकास पत्र लेकर ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा इन्हें बैंक के पक्ष में प्लेज/लियन कराना होगा।

12

- सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर की फीस ऋणी/फर्म के माध्यम से ली जायेगी तथा ऋणी से इस आशय की अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि उक्त फीस देने में उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा उसके खाते से यह फीस प्रतिवर्ष सीजीटीएमएसई द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार डेबिट कर ली जायेगी।

11. <u>बीमा</u> :–

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उनका बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत उनका बीमा आग, चोरीं, प्राकृतिक आपदा का इन्श्योरेन्स कराना होगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग/सहमति ऋणी से लेना आवश्यक होगा।

- जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित हैं उनमें बीमा सीजीटीएमएसई द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

12. <u>क्रेडिट स्कोर की जॉच</u> :–

- ऋण लेने वाले व्यक्तियों, ऋण लेनी वाली फर्म दोनों का ही सिबिल स्कोर प्राप्त किया जायेगा। ऋणी/ऋणियों का सिबिल स्कोर 700 से नीचे नहीं होना चाहिए तथा ऋण लेने वाली फर्म का सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) 01 से 6 तक है तो ऋण अनुमन्य किया जायेगा। यदि 06 से ऊपर है तो ऋण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

- नये उद्यमियों हेतु Finance Income and Trade Rank (फिट रैन्क) देखी जायेगी। फिट रैन्क की गणना ऋणी के बैंक स्टेटमेण्ट, आईटीआर एवं जीएसटी रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा फिट रैन्क 01 से 06 तक होगी तो ऋण स्वीकृत किया जायेगा यदि फिट रैन्क 06 से ऊपर होगी तो ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

- नये एमएसएमई के मामलों में जहां सीएमआर रैन्क नहीं है वहां पर Finance Income and Trade Rank (फिट रैन्क) के साथ–साथ फर्म आदि के डायरेक्टर, पाटर्नर, प्रोपराईटर की सिबिल स्कोर रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी तथा जिन ऋणियों की सिबिल स्कोर नहीं आ रही है ऐसे मामलों में उनका एनटीसी स्कोर के आधार पर ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा।

- यदि नये ऋणियों का New To Credit (एनटीसी) स्कोर 131 या उससे ऊपर है तो बैंक ऋण स्वीकृत करेगा एवं यदि 131 से नीचे है तो ऋण स्वीकृत नहीं करेगा।

13. <u>स्वीकृत ऋण की वसूली</u> :–

- टर्म लोन की वसूली यदि मेराटोरियम पीरियड की सुविधा नहीं ली गयी है, तो 60 समान किस्तों (इक्वीटेड) में ऋण की वसूली की जायेगी। अन्य मामलों में ऋण की वसूली परिपत्र में ऊपर दी गयी व्यवस्था के अनुरूप होगी।

14. <u>फीस</u>

- प्रशासनिक शुल्क रू0 200.00 + जीएसटी
- प्रोसेसिंग फीस 0.50 प्रतिशत (न्यूनतम रू0 4000.00) +जीएसटी सहित ऋणियों से ली जायेगी। तथा उक्त प्रोसेसिंग फीस में सी0ए0 द्वारा ली जाने वाली फीस भी सम्मिलित होगी। सी0ए0 द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:–

रू0 10,00,000.00 तक ऋण	रू0 4000.00
रू0 10,00,001.00 से रू0 25,00,000.00 तक ऋण	रू0 6000.00
रू0 25,00,001.00 से रू0 60,00,000.00 तक ऋण	रू0 7500.00

Appraisal from CA should be done only for proposals which satisfy applicable condition as stipulated in Bank's MSME Policy and circular.

- उक्त दरों में सी0ए0 द्वारा फाइनेन्शियल एवं टैक्निकल एप्रेजल, एमएसएमई ड्यू डेलीजेन्स एवं आईटीआर वेरीफिकेशन आदि किया जायेगा।
- उद्यमियों एवं उनकी फर्म/यूनिट को तथा गारण्टर्स को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य अवश्य बनाया जायेगा।
- अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों हेतु अधिवक्ता द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस अधिकतम रू0 2000.00 होगी, यह प्रोसेसिंग फीस से पृथक होगी।
- स्टॉक/परिसम्पत्तियों आदि का वैल्यूवेशन कराने के लिए वैल्येवूशन फीस तथा स्टॉक का आडिट करने या अन्य कोई आडिट करने जैसा बैंक उचित समझे के सम्बन्ध में जो फीस आडिटर द्वारा चार्ज की जायेगी उसे ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।

सीजीटीएमएसई द्वारा समय–समय पर निर्धारित गारण्टी फीस ऋणी से ली जायेगी।

बैंक के कार्मिकों को ट्रेनिंग (For Loan Appraisal) भी करायी जानी होगी।

MSME loaning is a new verticle hence review of MSME portfolio should be a monthly exercise at H.O. level .

Based on implementation of review experience MSME policy should be reviewed annualy and appropriate modifications be introduced.

उपरोक्त संशोधनों के साथ–साथ एमएसएमई व्यवसाय में संवर्धन हेतु बैंक स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित करना उचित होगा।

15. <u>ऋण अवमुक्त करने के सम्बन्ध में</u> :–

बैंक द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन करने के पश्चात् ही टर्म लोन या कैश क्रेडिट ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।

16. <u>प्रपत्र</u>

- व्यवसाय के सम्बन्ध में डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर), विगत 03 वर्षों की बैलेन्स शीट, 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्स शीट, केवाईसी डॉक्यूमेण्ट जिसमें उद्योग आधार नम्बर, पैन नम्बर (फर्म एवं फर्म को संचालित करने वाले व्यक्तियों) आदि प्राप्त किया जायेगा। ऋण का वित्तीय अप्रेजल एवं टेक्नीकल अप्रेजल सीए के माध्यम से कराया जायेगा।

- कैश फ्लो स्टेटमेण्ट प्राप्त किया जायेगा।

- पार्टनरशिप फर्म के मामलों में पार्टनरशिप डीड प्राप्त की जायेगी तथा उसका भलीभांति अध्ययन कर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

- मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, लेटर ऑफ इन्कारपोरेशन सम्बन्धित फर्म/यूनिट से प्राप्त करना होगा। एमएसएमई फर्म/यूनिट के चालू खाते ऋण खाते सीसी खाते का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा के सम्बन्ध में फर्म के अधिकृत व्यक्तियों/बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर खातों का ऑपरेशन कराया जायेगा।

- रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में बैंक के पक्ष में प्रथम चार्ज क्रियेट कराना होगा। (जहॉ आवश्यक होगा तभी लागू होगा)

- प्रति माह के समाप्त होने के पश्चात् अगले माह की 10 तारीख तक यूनिट/फर्म/उद्यमी से स्टॉक स्टेटमेण्ट का सर्टिफिकेट, जो उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि सही है, लिया जायेगा।

- बोर्ड की मीटिंग कम से कम एक क्वार्टर मे एक बार अवश्य होनी चाहिए या जैसा नियमों में व्यवस्था है, जैसा कम्पनीज एक्ट, कोआपरेटिव एक्ट या अन्य एक्ट मे व्यवस्था है, होनी चाहिए।

- डिमाण्ट प्रनोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, हाइपोथिकेशन, लेटर ऑफ कन्टीन्यूटि आदि ऋणी से भराया जायेगा तथा प्रनोट पर निर्धारित राशि के रसीदी टिकट लगेंगे। (जो पूर्व से फॉरमेट चल रहे हैं उन पर कराया जायेगा)

17. आवश्यक दिशा–निर्देश

प्लान्ट, मशीनरी, स्टाक आदि जो भी ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के माध्यम से बनाया जायेगा उसको बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट कराया जायेगा।

NOTE:

- The borrower will be required to submit proof of his ownership of the land/property on which he proposes to establish his Enterprise. Generally Loan will not be disbursed to any person who is not the Owner of the land or property on which the Enterprise is to be established but relaxation can be granted by appropriate authority at branch level if following conditions are fulfilled.

1. The bank will not have direct exposure of security to Leased, Hire Purchased and Rented properties, either primary or collateral.
2. The Bank may extend credit facilities to such borrowers having security as Leased, Hire Purchased and Rented properties on subject to the fulfillment of the following conditions.
    1- It is in commercial area (not residential).
    2- **Unexpired Lease/Registered Agreement period in 06 years or more at the time of sanction.**
    3- With Prior written approval of Appropriate Authority (at Branch)

अग्रेतर उक्त संशोधन बैंक द्वारा निर्गत एमएसएमई नीति परिपत्र सं0–बैंकिंग/एमएसएमई/एफ–304/2022–23/579, दिनांक–22.02.2024 में भी संशोधित समझे जायेंगें तथा एमएसएमई नीति में निर्गत फाइनेन्शियल रेशियो (बिन्दु सं0–31) के अनुसार ही रहेगी।

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. महाप्रबन्धक (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाईट पर एमएसएमई का संशोधित परिपत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक